संख्या–1083/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ, दिनांकः 12 मई,2020**

विषय–प्रदेश में आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले राजकीय/प्राइवेट क्षेत्र के नॉन कोविड चिकित्सालयों में कोविड–19 पुष्ट रोगी पाए जाने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

विगत दिवसो में ऐसा संज्ञान में आया है कि नॉन कोविड फैसिलिटी में किसी कर्मचारी/रोगी के कोविड–19 से संक्रमित पाए जाने पर फेसिलिटी के कर्मचारियों/ अधिकारियों को क्वारेनटाइन करते हुए फैसिलिटी को बन्द किया जा रहा है, जिससे जन–मानस को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में जन मानस को उपर्युक्त परिवेश में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सालयों में संक्रमण को रोकने हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करते हुए संक्रमण निरोधक गतिविधियों का पर्याप्त एवं सक्रिय प्रबन्धन किए जाने की आवश्यकता है।

2– इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–977/पांच–5–2020, दिनांक 27.04.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जनपदों के प्राइवेट एवं पब्लिक क्षेत्र की समस्त चिकित्सा इकाइयों, जिनके द्वारा आवश्यक/आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, में आई0पी0सी0 प्रोटोकॉल कमेटी के गठन एवं दायित्वों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विस्तृत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त नॉन कोविड चिकित्सालयों में पुष्ट कोविड–19 रोगी पाए जाने की दशा में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः–

1. नॉन–कोविड चिकित्सालय में पुष्ट कोविड–19 रोगी पाए पर कृत कार्यवाही का विवरणः–

1.1. रोगियों से सम्बन्धित कार्यवाही –

1.1.1 किसी भी सरकारी अथवा निजी चिकित्सालय, चिकित्सा संस्थान, चिकित्सा शिक्षा संस्थान में किसी भी रोगी में नवीन कोरोना वायरस की पुष्टि होने पर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सर्विलांस अधिकारी को अनिवार्य रूप से तत्काल सूचना उपलब्ध करायी जाए तथा पुष्ट कोविड–19 रोगी को डेडीकेटेड एम्बुलेन्स द्वारा पूर्ण सावधानियों के साथ रोगी की स्थिति के अनुसार (L-1, L-2 एवं L-3) कोविड चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाए।

1.1.2 कोविड पुष्ट रोगी के दाहिने/बाएं एवं आगे/पीछे वाले बिस्तर के रोगियों को हाई रिस्क कॉन्टेक्ट के रूप में चिन्हित करते हुए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कराकर

प्रथम रोगी के पुष्ट होने के पाँचवे दिवस के उपरान्त (14 वें दिवस से पूर्व) उनका कोविड–19 हेतु आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए।

1.1.3 वार्ड के अन्य रोगियों को लो रिस्क कॉन्टैक्ट के रूप में चिन्हित करते हुए दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा दिया जाए।

1.1.4 दाहिने/बाएं एवं आगे/पीछे वाले बिस्तर के हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के रूप में चिन्हित रोगियों की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच ऋणात्मक आने पर उक्त रोगियों को 14 दिन तक क्वॉरेनटाईन में रख कर उनकी लक्षण प्रकट होने पर अथवा 14वें दिन पर पुनः आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए तथा जांच ऋणात्मक आने पर उनको भी 14 दिन बाद आवश्यकतानुसार डिस्चार्ज किया जाए।

1.1.5 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के रूप में चिन्हित रोगियों की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच ऋणात्मक आने पर वार्ड के अन्य (लो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के रूप में चिन्हित) रोगियों को समय से डिस्चार्ज कर दिया जाए।

1.2 वार्ड से सम्बन्धित कार्यवाही –

1.2.1 संक्रमित वार्ड को 24 घण्टे के लिए बन्द करते हुए 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराईट द्वारा 12 घंटे के अन्तराल पर 2 बार विसंक्रमित कराया जाए। विसंक्रमित करने के पश्चात् इसे पुनः प्रारम्भ कराया जाए।

1.2.2 पलंग आदि को डिटर्जेन्ट आदि से धोने के उपरान्त 70 प्रतिशत अल्कोहल से वाईप किया जाए।

1.2.3 वार्ड के समस्त उपकरणों को भी 70 प्रतिशत अल्कोहल से वाईप किया जाए।

1.3 चिकित्सा कर्मियों से सम्बन्धित कार्यवाही –

1.3.1 रोगी के सम्पर्क में आने वाले ऐसे कर्मी जो रोगी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट (2 मीटर से कम दूरी एवं 15 मिनट से अधिक अवधि हेतु सम्पर्क में रहे हों) में रहे हों, को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के रूप में चिन्हित करते हुए क्वारेन्टाईन करते हुये उनकी तत्काल आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए।

1.3.2 अन्य लो रिस्क कर्मियों (जो उपरोक्त अवधि से कम अथवा दूरी से अधिक के लिए मरीज के सम्पर्क में रहे हों) को भी हाई रिस्क कर्मियों की रिपोर्ट उपलब्ध होने तक क्वारेन्टाईन किया जाएगा।

1.3.3 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट कर्मियों की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच ऋणात्मक आने पर भी इन्हें 14 दिन तक क्वॉरेनटाईन में रख कर उनकी लक्षण प्रकट होने पर अथवा 14वें दिन पर पुनः आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए तथा जांच ऋणात्मक आने पर उनको भी कार्य पर वापस बुला लिया जाए।

1.3.4 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट कर्मियों की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच ऋणात्मक आने पर लो रिस्क कॉन्टैक्ट कर्मियों को कार्य पर वापस बुला लिया जाएगा।

2. नॉन कोविड चिकित्सालय में कार्यरत हेल्थ केयर वर्कर के कोविड–19 पुष्ट होने पर आवशयक कार्यवाहियाँ :–

2.1 चिकित्सालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी में आई0एल0आई0, लक्षण प्रकट होते ही उसको ड्यूटी से मुक्त करते हुए तत्काल आइसोलेट कर कोविड–19 की जांच करायी जाए।

2.2 पुष्ट कोविड–19 वर्कर को डैडीकेटेड एम्बुलेन्स द्वारा पूर्ण सावधानियों के साथ वर्कर की स्थिति के अनुसार (L-1, L-2 एवं L-3) कोविड चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाए।

2.3 पुष्ट हेल्थ केयर वर्कर के सम्पर्क में आने वाले ऐसे कर्मी जो वर्कर के डायरैक्ट कॉन्टैक्ट (2 मीटर से कम दूरी एवं 15 मिनट से अधिक अवधि हेतु सम्पर्क) में रहे हों, को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के रूप में चिन्हित कर क्वॉरेन्टाईन करते हुए उनकी आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए।

2.4 अन्य लो रिस्क कर्मियों (जो उपरोक्त अवधि से कम अथवा दूरी से अधिक के लिए मरीज के सम्पर्क में रहे हों) को भी हाई रिस्क कर्मियों की रिपोर्ट उपलब्ध होने तक क्वारेन्टाईन किया जाएगा।

2.5 हाई रिस्क कॉन्टेक्ट की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच ऋणात्मक आने पर इन्डायरेक्ट कान्टैक्ट्स को कार्य पर वापस बुला लिया जाएगा एवं हाई रिस्क कॉन्टेक्ट के रूप में चिन्हित कान्टैक्ट्स को 14 दिन तक क्वारेनटाईन में रख कर उनकी लक्षण प्रकट होने पर अथवा 14वें दिन पर पुनः आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए तथा जांच ऋणात्मक आने पर उनको भी कार्य पर वापस बुला लिया जाए।

2.6 कोविड–19 पुष्टि हुए वर्कर/रोगियों के सम्पर्क में आए हुए समस्त रोगियों को हाई रिस्क एवं लो रिस्क कर्मियों में विभेदित करते हुए तद्नुसार (बिन्दु संख्या 1.1.1 से 1.1.5) कार्यवाही की जाए।

3. आपातकालीन (Triage)

3.1 आपातकालीन क्षेत्र/वार्ड में एक Triage क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए।

3.2 सभी रोगियों को परीक्षण पूर्व SARI, आई0एल0आई0 जैसे लक्षणों, हॉटस्पाट में निवास, कोविड–19 पुष्टि रोगियों के सम्पर्क आदि के बारे में जानकारी इस ट्रायेज क्षेत्र में ही प्राप्त की जाए।

3.3 आई0एल0आई0 लक्षणों से ग्रसित, SARI, हॉटस्पॉट में निवास, कोविड–19 पुष्टि रोगियों के सम्पर्क में आए रोगियों की कोविड–19 की जांच कराई जाएं एवं रिपोर्ट आने तक ऐसे रोगियों को आइसोलेशन में रखा जाएं, साथ ही इन मरीजों का उपचार करने वाले चिकित्सक एवं कर्मी संक्रमण निरोध हेतु सभी आवश्यक उपाय अपनाएं। इस हेतु पर्याप्त मात्रा में PPE किट तथा अन्य आवश्यक लौजिस्टिक्स आपातकालीन क्षेत्र में उपलब्ध रखे जाएँ। कोविड–19 रिपोर्ट धनात्मक आने पर मरीज को नियमानुसार कोविड–फैसिलिटी में शिफ्ट कराया जाए।

4. इन्डोर फैसिलिटी :–

4.1 केवल उन्हीं मरीजो को भर्ती किया जाए जिनका परामर्श के उपरान्त घर पर इलाज सम्भव नहीं है।

-4-

4.2 इंडोर वार्ड में भर्ती किसी मरीज के कोविड धनात्मक पाए जाने की स्थिति में बिन्दु संख्या 1.1 तथा 1.2 तथा इनके उपबिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5. सर्जरी

5.1 ऐसी इलेक्टिव सर्जरी (जैसे–कौस्मेटिक सर्जरी, हर्निया रिपेयर आदि) जिनको स्थगित किया जा सकता है एवं जिनके न करने से मरीज का अहित न हो रहा हो उनको लॉकडाउन के उपरान्त ही प्लान किया जाए।

5.2 आपातकालीन सर्जरी करते समय उपयुक्त पी0पी0ई0 किट का प्रयोग किया जाए।

5.3 आपातकालीन सर्जरी किए गए मरीज के कोविड धनात्मक पाए जाने की स्थिति में बिन्दु संख्या 1.1 से 1.3 तथा इनके उप बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

6. सामान्य सावधानियाँ

6.1 कोविड–19 पुष्टि हुए वर्कर/रोगियों के सम्पर्क में आए हुए समस्त व्यक्तियों/ हेल्थकेयर वर्कर को 07 सप्ताह तक हाईड्रौक्सी क्लोरोक्विन प्रोफाइलेक्सिस कान्ट्राइन्डिकेशन को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय पर्यवेक्षण में दी जाए।

6.2 सभी निजी एवं सरकारी चिकित्सीय इकाईयों में कोविड–19 के संक्रमण की सम्भावना को देखते हुए सुदृढ़ स्टाफिंग एवं कन्टिन्जैन्सी प्लान बनाया जाए जिसके अनुसार कुछ चिकित्सा कर्मियों को बैक–अप अथवा रिजर्व में रखा जाए। जिससे कोविड–19 के संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा इकाइयों का कार्य बाधित न हो।

6.3 आवश्कयतानुसार मरीज के साथ एक ही तीमारदार को अनुमति प्रदान करें।

6.4 समस्त पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड–19 से बचाव हेतु आई0पी0सी0 प्रोटोकॉल एवं वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्रोटोकॉल हेतु प्रशिक्षित किया जाए।

6.5 कोविड–19 से बचाव हेतु उपयुक्त लॉजिस्टिक्स यथा पी0पी0ई0 किट्स, सैनेटाइजर आदि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

6.6 चिकित्सा अधीक्षक सुनिश्चित करें कि स्टाफ अपने तैनाती के स्थान पर ही कार्य करें। व्यर्थ इधर–उधर विचरण न करें तथा अन्य स्टाफ व अधिकारियों से व्यर्थ मिलना जुलना न करें। कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार मास्क इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए भौतिक दूरी का पालन किया जाए।

6.7 मरीज को आवश्यकतानुसार मास्क उपलब्ध कराए जाए।

6.8 ऐसे सरकारी एवं निजी चिकित्सालय, चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान जहाँ एक से अधिक एम्बुलैन्स मरीजों के परिवहन हेतु उपलब्ध हैं, वहाँ कोविड संभावित मरीजों के परिवहन हेतु एक पृथक एम्बुलैन्स को डेडिकेटेड एम्बुलैन्स के रूप में चिन्हित करते हुए इस वाहन के सभी कर्मियों का संक्रमण निरोध हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए साथ ही कोविड संभावित मरीजों के परिवहन के उपरान्त एम्बुलैन्स का नियमानुसार अल्कोहल बेस्ड

सैनिटाइजर अथवा सोडियम हाइपोक्लोराइट से सघनता के साथ विसंक्रमण भी सुनिश्चित किया जाए।

6.9 जिले व फैसिलिटी में गठित कमेटी द्वारा समस्त सरकारी व निजी चिकित्सालयों का भ्रमण कर आई0पी0सी0 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए एवं निर्धारित चेकलिस्ट का प्रयोग कर गैप एनालिसिस करी जाए एवं फीडबैक सम्बन्धित चिकित्सालय के अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला अधिकारी के साथ साझा करते हुए गैप एनालिसिस में आई कमियों का तत्काल निवारण सुनिश्चित किया जाएगा एवं समस्त कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि यदि सभी सावधानियाँ अपनाए जाने के उपरान्त भी किसी चिकित्सालय में कोई चिकित्सा कर्मी अथवा रोगी संक्रमित होता है तो इसे इन्फैक्शन प्रीवैन्शन समीति को सन्दर्भित करते हुए समीति की अनुशंसा के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कर राज्य मुख्यालय को सूचित किया जाए।

6.10 जो चिकित्सालय कोरोना पाजिटिव के प्रकरण के संज्ञान में आने पर प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही करेगें एवं स्थानीय मुख्य चिकित्साधिकारी को तत्काल सूचित कर देगें, उनके विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

12.5.2020

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1083/पांच–5–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रषिक्षण, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज़ कार्पोरेशन, सूडा भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला/जिला संयुक्त /महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
11. राज्य प्रतिनिधि, डब्लू0एच0ओ0।
12. राज्य प्रतिनिधि, यूनीसेफ।
13. अध्यक्ष, इण्यिन मेडिकल एसोसिएशन, लखनऊ।
14. अध्यक्ष, नर्सिग एसोसिएशन, आई0एन0एच0ए0 भवन, डीएस–13, निरालानगर, लखनऊ।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

12/05/2020

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव